

—: परिपत्र :—

व्यापारियों हेतु Online वार्षिक विवरणी {FORM-IV (amended)} दाखिल करने विषयक

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 55 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के नियम 11 के उपनियम (6) में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या 1 व क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट उन व्यौहारी अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए वार्षिक विवरणी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दाखिल करने की सुविधा संस्थापित की जा रही है। इस प्रकार प्रावधानित नई प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा तैयार किये गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी—

- 1- व्यापारी द्वारा विभागीय वेबसाइट 'www.comtaxappl.uk.gov.in' पर अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से login करें।
- 2- उसके बाद screen पर बायीं ओर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट में से 'New offline Annual Return' पर क्लिक करें।
- 3- इसके उपरान्त उपलब्ध विकल्पों में से 'Download New offline Annual Return file' पर क्लिक करें।
- 4- इस प्रकार प्रदर्शित screen पर 'Download FORM IV' के अन्तर्गत Dropdown से Assessment year का चयन करें एवं 'Download offline Annual Return' पर क्लिक करें। इस प्रकार Download file को अपने कम्प्यूटर पर save करें।
- नोट- यह FORM IV (amended) वर्ष 2013-14 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।
- 5- Offline Annual Return भरने के लिए Download file, open करने पर 'Steps for filing Return' के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों को पढ़ें एवं रिटर्न भरने हेतु 'Proceed' पर क्लिक करें।
- 6- इस प्रकार प्राप्त screen पर date format का चयन करते हुए 'Proceed for Annual Return' पर क्लिक करें।
- 7- इसके पश्चात स्क्रीन पर 'Offline Annual Return' का प्रारूप उपलब्ध होगा जिसमें आपके द्वारा दाखिल की गयी त्रैमासिक विवरणियों का योग 'Calculation as per Qtrly Return' के कॉलम में उपलब्ध हो जाएगा।
- 8- व्यापारी को 'Calculation as per books' के कॉलम में अपनी वार्षिक विवरणी से सम्बन्धित आंकड़े भरने हैं।
- 9- क्र0सं0 6 से लेकर 10 तक में व्यापारी अपनी प्रान्तीय करयोग्य टर्नओवर का विवरण भरेंगे जबकि बिन्दु संख्या 11 से 13 तक प्रान्तीय करमुक्त टर्नओवर का विवरण भरेंगे।
- 10- बिन्दु संख्या 12 एवं 13 में क्रमशः संलग्नक 415 एवं 415ए दिये गये हैं जिनमें सम्पूर्ण विवरण भरने पर सम्बन्धित आंकड़े स्वतः ही सम्बन्धित field में आ जायेंगे परन्तु साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख स्वीकृत पत्र के साथ कार्यालय में दाखिल करने होंगे।

- 11- बिन्दु संख्या 16 से लेकर बिन्दु संख्या 26 तक अन्तरराज्यीय टर्नओवर का विवरण भरा जाना है।
- 12- बिन्दु संख्या 30 व 31 में सम्बन्धित मद की प्रविष्टियां Enter detail में कर की दर के अनुसार भरी जानी हैं।
- 13- बिन्दु संख्या 36 से लेकर 45 तक में प्रान्तीय खरीद का विवरण भरा जाना है बिन्दु संख्या 37, 39 एवं 40 में अनुलग्नक 419, 419ए एवं 419बी दिये गये हैं जिनमें आवश्यक आंकडे भरने पर बिन्दु संख्या 37, 39 एवं 40 के सम्बन्धित field में स्वतः आ जायेंगे।
- 14- बिन्दु संख्या 46 से 52 तक अन्तरराज्यीय खरीद का विवरण भरा जाना है बिन्दु संख्या 53, 54, 55 में प्रांतीय खरीद जिस पर आईटीसी क्लेम किया जाना है, से सम्बन्धित मद में Enter detail में कर की दर के अनुसार भरा जाना है।
- 15- बिन्दु संख्या 56, 57, 58 में व्यापारी अपने वास्तविक दावा की गयी आईटीसी के आंकडों को भरेंगे।
- 16- बिन्दु संख्या 59(a) एवं 59(b) में गत वर्षों में कैपिटल गुड्स पर दावाकृत आईटीसी के आंकडे भरे जायेंगे।
- 17- बिन्दु संख्या 64 में 'Reverse tax credit due to stock transfer' से सम्बन्धित अनुलग्नक संख्या 401 उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 62 में 'Reverse tax credit due to other reasons' से सम्बन्धित अनुलग्नक संख्या 402 उपलब्ध कराया गया है जिनमें आवश्यक आंकडे भरने पर स्वतः सम्बन्धित field में आ जायेंगे।
- 18- बिन्दु संख्या 65 में गत वर्ष से Brought forward ITC के आंकडे भरने हैं।
- 19- बिन्दु संख्या 67 में अनुलग्नक 403 एवं 403ए 'Tax credit on sale return' उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें 6 माह के भीतर और 6 माह के पश्चात sale return से सम्बन्धित विवरण भरे जाने हैं परन्तु लाभ 6 माह के भीतर माल वापसी का ही मिलेगा, वह भी उस दशा में जब माल वापसी का साक्ष्य स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
- 20- बिन्दु संख्या 68 में 'Tax credit for reason other than sale return' से सम्बन्धित विवरण अनुलग्नक 404 में भरा जाना है।
- 21- बिन्दु संख्या 69ए में यदि किसी व्यापारी का कोई TDS कटा है तो उससे सम्बन्धित विवरण अनुलग्नक 405 में भरा जाएगा।
- 22- बिन्दु संख्या 69बी में अनुलग्नक 431ए एवं 431बी में प्रान्तीय जमा कर का विवरण भरा जाना है।
- 23- बिन्दु संख्या 70 में जो FORM III के चौथी तिमाही के अन्त में Tax C/F किया गया है उसकी राशि अंकित करेंगे।
- 24- बिन्दु संख्या 75 में अनुलग्नक संख्या 431 सी व डी दिये गये हैं जिसमें CST tax जमा करने सम्बन्धी विवरण भरा जाना है।
- 25- बिन्दु संख्या 78 में अनुलग्नक 431 में विवरणियों के सम्बन्ध में लेट फीस के आंकडे भरे जाने हैं।
- 26- बिन्दु संख्या 80 में वार्षिक विवरणी के साथ जमा किये गये कर का विवरण भरा जाना है।
- 27- बिन्दु संख्या 81 से 93 तक दाखिल किये जाने वाले प्रपत्रों, प्रमाण पत्रों एवं विवरण पत्रों से सम्बन्धित अनुलग्नक दिये गये हैं।

- 28- बिन्दु संख्या 94 से 104 तक व्यापारी द्वारा विभाग से प्राप्त प्रपत्रों, ओ0सी0 स्टेम्प के विवरण सम्बन्धित अनुलग्नक भरने हैं।
- 29- Return भरने के उपरान्त नीचे दिये गये 'Validate & Generate XML for Annexure and FORM IV' पर क्लिक करें इस प्रकार आपकी Annual Return की XML file जनरेट हो जायेगी। इसे selected location पर save करें।
- 30- व्यापारी पुनः विभागीय वेबसाइट 'www.comtaxappl.uk.gov.in' पर login करें एवं 'New offline Annual Return' के अन्तर्गत 'Upload FORM IV XML' पर क्लिक कर Offline XML file upload करें।
- 31- अपलोड करने के उपरान्त 'Acknowledgement of FORM IV (Amended)' आयेगा जिसके बिन्दु संख्या 1 से 3, 5 से 16 तक स्वतः वार्षिक विवरण से detail आ जायेगी परन्तु बिन्दु संख्या 4 में अवधि व्यापारी को भरनी होगी। बिन्दु संख्या 16 में उन सभी संलग्नकों का व्योरा आयेगा जो आंकड़ों से समर्थक दस्तावेज हों। इसमें दस्तावेज का नाम अंकित किया जायेगा तथा कितने दस्तावेज हैं उनकी संख्या भी लिखेंगे जैसा कि Bill of Lading से 'Export' के समर्थन में दावा किया है तो Bill of Lading टाइप करना है तथा '10' Bill of Lading है तो '10' की संख्या लिखनी है। बिन्दु संख्या 17 में पहले सभी संलग्नकों को क्रमांकित 1, 2,..... से करने के पश्चात कुल पेपरों की संख्या का इन्द्राज करना है।


(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं०व 6171 दिनोंक उक्त।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 3- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 4- एडिशनल कमिश्नर (ऑडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य०) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।